

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 151/107/116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1485 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1485 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत खिनडिहा से इवेन्ट संख्या 46082 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में दो पहिया वाहन अनियंत्रित होकर आपस से टकरा जाने के कारण 02 लोगो (1- मनोज पुत्र हजारी आर/ओ भाटपार, खलीलाबाद, संतकबीरनगर तथा 2- अमन सिंह पुत्र त्रिभुवन जनपद प्रयागराज) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- उ0नि0 श्री मेवालाल, मु0आ0 राकेश साहनी, आ0चा0 अम्बरीश यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 77 वाहनों से 1,11,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 77 वाहनों से 1,11,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 19.04.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 168/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सैयद अली उर्फ पंडित पुत्र स्व0 छेदी खान साकिन पैकोलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को विधिक नियमों का पालन करते हुये बघौली तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सैयद अली उर्फ पंडित पुत्र स्व0 छेदी खान साकिन पैकोलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर ।

संक्षिप्त विवरण:-

विदित हो कि उक्त अभियुक्त का एक सुसंगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु गैंग बनाकर मारपीट/चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं । मारपीट/चोरी के अभियोग दर्ज होने व समाज में काफी भय, आतंक व साम्प्रदायिक साम्प्रदायिक सौहार्द खराब होने के खतरे तथा उक्त अभियुक्त के भय व आतंक से किसी व्यक्ति द्वारा इनके विरुद्ध इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की सूचना व गवाही देने से डरने के दृष्टिगत गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था । गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किए जाने के उपरान्त कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त गैंगेस्टर को आज दिनांक 19.04.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 1021/2017 धारा 147, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 2549/2017 धारा 174 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
3. मु0अ0सं0 1284/2017 धारा 147, 323, 504, 342, 506 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
4. मु0अ0सं0 158/2018 धारा 352, 504, 506 भादवि थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
5. मु0अ0सं0 041/1999 धारा 147, 148, 323, 324 भादवि थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
6. मु0अ0सं0 2192/2016 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
7. मु0अ0सं0 235/2017 धारा 147, 452, 354, 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
8. मु0अ0सं0 623/2015 धारा 364ए भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
9. मु0अ0सं0 0588/2015 धारा 395, 397 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
10. मु0अ0सं0 123/2022 धारा 413, 414 भादवि थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
11. मु0अ0सं0 122/2022 धारा 379, 413, 414 भादवि थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक श्री रामकृपाल सिंह, हे0का0 राकेश गौंड, का0 कृष्णानन्द शाह ।